रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05032026-270663
CG-DL-E-05032026-270663

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1106]	नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 3, 2026/फाल्गुन 12, 1947
No. 1106]	NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 3, 2026/PHALGUNA 12, 1947

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2026

का.आ. 1158(अ).— पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या के उपयोग से लोगों को सहायकी, फायदा और सेवाएँ सुविधाजनक और निर्बाध रूप से प्राप्त करने में सहायता मिलती है, पहचान स्थापित करने हेतु एकाधिक दस्तावेज़ों की आवश्यकता समाप्त होती है, प्रक्रियाएँ सरल होती हैं और पारदर्शिता और दक्षता की अभिवृद्धि होती है;

और भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) से परामर्श के पश्चात, अपने पत्र संख्या ई फ़ा. सं. 22(1)/2026-साइबर विधि तारीख 5 जनवरी, 2026 के माध्यम से कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (इसे इसमें इसके पश्चात उक्त मंत्रालय कहा गया है), भारत सरकार (इसे इसमें इसके पश्चात उक्त सरकार कहा गया है) को, सुशासन हेतु आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 (इसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन विहित प्रयोजनों के लिए उक्त मंत्रालय को प्रमाणीकरण करने और आधार संख्या धारक की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से प्रमाणीकरण के दौरान आधार संख्या के उपयोग की अनुमति प्रदान की जाएगी और आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (इसे इसमें इसके पश्चात आगे अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के साथ पठित उक्त नियम के नियम 5 के अंतर्गत अधिसूचित किया जाएगा;

और, आधार प्रमाणीकरण का उपयोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल हेतु किया जाएगा ताकि सुशासन सुनिश्चित किया जा सके, नागरिकों के जीवन की सहूलियत बढ़ाने और उनके लिए सेवाओं की बेहतर सुलभता प्रदान की जा सके (इसे इसमें इसके पश्चात उक्त प्रयोजन कहा गया है), जैसा कि उक्त नियमावली के नियम 3 के उप-नियम (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है;

अतः अब, उक्त प्रयोजन के लिए अधिप्रमाणन का उपयोग स्वैच्छिक आधार पर किया जाएगा और उक्त मंत्रालय केवल निम्नलिखित उपयोग-प्रकरणों के लिए ही अधिप्रमाणन करेगा :—

(क) प्रशिक्षुओं का नामांकन, प्रवेश और प्रमाण-पत्र जारी करने के दौरान अधिप्रमाणन;

(ख) व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली की निर्धारण प्रक्रिया के दौरान प्रशिक्षकों और परीक्षकों का अधिप्रमाणन;

अतः अब, उक्त मंत्रालय अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के साथ पठित उक्त नियम के नियम 5 के अनुसरण में निम्नलिखित को अधिसूचित करता है, नामतः—

1. (1) मंत्रालय, अधिनियम में यथा उपबंधित, अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए आधार संख्या धारक की सहमति प्राप्त करेगा।

(2) आधार अधिप्रमाणन की सुविधाओं के अधीन **जी हाँ/जी नहीं अधिप्रमाणन अथवा//और ई-केवाईसी अधिप्रमाणन का उपयोग किया जाएगा।**

(3) उक्त नियम के नियम 3 के उप-नियम (2) के अनुसार, आधार अधिप्रमाणन स्वैच्छिक होगा; मंत्रालय आधार संख्या धारक को पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य उपायों की जानकारी देगा और आधार अधिप्रमाणन से इंकार करने या उसमें असमर्थ होने के कारण किसी भी आधार संख्या धारक को कोई सेवा से वंचित नहीं करेगा, अर्थात्—

(क) फोटो सहित बैंक या डाकघर की पासबुक;

(ख) मतदाता पहचान पत्र;

(ग) पासपोर्ट;

(घ) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फ़ा.सं. डीजीटी -39/2024-आईटी प्रकोष्ठ]

निरंजन कुमार सुधांशु, अपर सचिव

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2026

S.O. 1158(E).— Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency;

And whereas the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, after consultation with the Unique Identification Authority of India (UIDAI), had allowed vide its letter no. eF. No. 22(1)/2026-CyberLaws dated 5th January, 2026 to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (hereinafter referred to as the said Ministry), Government of India (hereinafter referred to

as the said Government) for the purposes prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the said rules) that the said Ministry may be allowed to perform authentication and be permitted the use of Aadhaar number during authentication for establishing identity of Aadhaar number holder and notify the same under rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the Act);

And whereas, the Aadhaar authentication shall be performed for the usage of digital platforms to ensure good governance, promoting ease of living of residents and enabling better access of services for them (hereinafter referred to as the said purpose) as prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the said rules;

And whereas, the performance of Aadhaar authentication for the said purpose shall be on voluntary basis and that the said Ministry shall perform the Aadhaar authentication only for the following use case(s):

(a) Authentication of trainees during enrolment, admission and issuance of certificates;

(b) Authentication of trainers and examiners during assessment process of vocational educational system;

Now, therefore, in pursuance of rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Act, the said Ministry hereby notifies the following, namely:

1. (1) The Ministry, as provided in the Act, shall obtain the consent of the Aadhaar number holder for the purpose of authentication herein.

(2) Aadhaar authentication facilities used shall be using **Yes/No authentication or/and e-KYC authentication**.

(3) As per sub-rule (2) of rule 3 of the said rules, Aadhaar authentication is on voluntary basis; the Ministry shall inform the Aadhaar number holder of alternate and viable means of identification and shall not deny any service to the Aadhaar number holder for refusing to, or being unable to, undergo Aadhaar authentication, namely:

(a) Bank or Post Office Passbook with photo;

(b) Voter Identity Card;

(c) Passport;

(d) Permanent Account Number (PAN) Card.

2. This notification shall come into effect from the date of its publication in the official Gazette.

[F. No. DGT-39/2024-IT Cell]

NIRANJAN KUMAR SUDHANSU, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2026.03.05 14:31:26 +05'30'